

-: संशोधित आदेश :-

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/367 दिनांक 26.08.09 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 07.09.09 से 19.09.09 तक Induction/ Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

| क्रं. सं. | अधिकारी का नाम | पदस्थापन स्थान |
|-----------|--|--|
| 1 | डा० सतीश कुमार मित्तल, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र बंधबारेठा (भरतपुर) |
| 2 | डा० विकास खण्डेलवाल, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र लादडिया (नागौर) |
| 3 | डा० नन्दकिशोर मीणा, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र खारवा (अजमेर) |
| 4 | डा० उषा माहेश्वरी (होलानी) | सामु०स्वा०केन्द्र सुवाना (भीलवाडा) |
| 5 | डा० विनायक गोड, ग्रा०चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र बोरावड (नागौर) |
| 6 | डा० लखपत सिंह मीणा, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र आनवा (टोंक) |
| 7 | डा० पूनम सैनी, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र टीबाबसई (झुन्झुनू) |
| 8 | डा० मोहब्बत अली, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र बाय (चूरू) |
| 9 | डा० सुरेन्द्र कुमार मित्तल, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र रावला (श्रीगंगानगर) |
| 10 | डा० सुभाष चन्द, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र बिरानी (हनुमानगढ) |
| 11 | डा० संजय वर्मा, ग्रा०चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र शाहबाद (बांरा) |
| 12 | डा० मितिन जैन, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र मण्डावर (झालावाड) |
| 13 | डा० आशा मीणा, चि०अ० | स्टेट टी०बी० सोसायटी, मुख्यालय जयपुर। |
| 14 | डा० विकास जैन, ग्रा०चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र हाडेचा (जालौर) |
| 15 | डा० कमलेश नागरवाल, ग्रा०चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र खाटूश्यामजी (सीकर) |
| 16 | डा० गोविन्द कुमार मीणा, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र आइना (कोटा) |
| 17 | डा० मुकेश कुमार गर्ग, ग्रा०चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र नादोती (करौली) |
| 18 | डा० रश्मि जैन, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र बहरावण्डाखुर्द (सवाईमाधोपुर) |
| 19 | डा० लक्ष्मी प्रकाश नागर, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र सालोपत (बांसवाडा) |
| 20 | डा० कमल रिजवानी, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र डिन्डोली (चित्तोडगढ) |
| 21 | डा० रामचन्द्र शेरवत, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र अन्तारी (डूंगरपुर) |
| 22 | डा० हेमन्त कुमार बिन्दल, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र सिसोदा (राजसमन्द) |
| 23 | डा० सुनील कुमार गोयल, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र चान्देशरा (उदयपुर) |
| 24 | डा० विष्णु प्रसाद, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र जासोल (बाडमेर) |
| 25 | डा० दुर्गाशंकर जयपाल, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र नोख (जैसलमेर) |
| 26 | डा० सईद इनामुल हसन, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र कैलान्सर (जोधपुर) |
| 27 | डा० सुरेश यादव, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र चाणोद (पाली) |
| 28 | डा० सरीन कुमार, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र देलदार (सिरोही) |
| 29 | डा० कमलेश कुमार मीणा, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र रामगढपाच (दौसा) |
| 30 | डा० विशन प्रकाश गर्ग, ग्रा०चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र मानिया (धोलपुर) |
| 31 | डा० अरूण वशिष्ठ, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र बडोदामेव (अलवर) |
| 32 | डा० प्रकाश चन्द गुप्ता, ग्रा०चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र पुन्चारी (भरतपुर) |
| 33 | डा० रवि प्रकाश, ग्रा०चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र सिवाड शाहपुरा (जयपुर) |

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु दिनांक 08.09.09 को सांय निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन-

सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.(6)ट्रेनिंग(पी.एल.2)आरएचएसडीपी/2007/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसरण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिनकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है, इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोट :- यात्रा भत्ता टेक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 21/09/09

क्रमांक :- राजपत्रित/ट्रेनिंग/2009/ 387

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आरएचएसडीपी, मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक F7(6)/SIHFW/Ind.Trng./2007/2034-37 दिनांक 20.08.09 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 06.09.09 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निवेशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय से संबंधित की वेबसाइट पर डाउनलोड करवाने की व्यवस्था करावे।
9. आवेश पत्रावली।



अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।